5.1.21

वकील वादी के द्वारा उप० होकर न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि पूर्वतन संस्थित वाद पत्र संख्या-98/20 के संबंध में मेरे मुवक्किल अथवा मुझे जानकारी नहीं थी, अतः हस्तगत वाद को पूर्वतन संस्थित प्रार्थना-पत्र/वाद के साथ कंसोलिडेट किया जावे।

दोनो प्रार्थना पत्र/वाद (98/20 एवं 75/20 के अवलोकन से प्रकटतः स्पष्ट है कि दोनों वाद/प्रा० पत्रों की विषय वस्तु, घरू बँटवारा से संबंधित भूमि की विशिष्टियाँ, चाहा गया अनुतोष इत्यादि पूर्णतः समान है।

अतः विवाद विषय पूर्वतन संस्थित वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 98/20 एवं पश्चात वर्ती संस्थित प्रार्थना पत्र (हस्तगत)/वाद 98/2020 में संबंधित पक्षकारों के बीच प्रत्यक्षतः विवाद होने के कारण पश्चात्वर्ती संस्थित वाद को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के तहत रोक दिया जाने का आदेश दिया जाता है एवं रीडर न्यायालय द्वारा को सूचित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.23 15:24:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की
	किया जाता है कि वह हस्तगत वाद से संबंधित पत्रावली को पूर्वतन लम्बित वाद-पत्र से संबंधित पत्रावली के साथ कंसोलिडेट करें। वादी अपना पक्ष पूर्वतन लंबित वादपत्र में रखने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। पत्रावली को फैसल शुमार माना जावे। (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ Signature Not Verified Digitally signed by Pawan Kumar Date: 2021.01.23 15:24:22 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner